उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए
निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी
सार्वजनिक सूचना

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग II, खंड 3, उप-खंड (iii) में दिनांक 7 अगस्त, 2025 को प्रकाशनार्थ

यत:, भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, मैं, पी.सी. मोदी एतदद्वारा सूचना देता हूँ कि–

(i) अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा संख्या आरएस 28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी, सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव/श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश-दिन से भिन्न) मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 बजे के बीच, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 तक परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी केवल पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चातकथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उक्त कार्यालय, कमरा संख्या एफ–100, संगोष्ठी–2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में, मतदान इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 10 बजे और मध्याह्न पश्चात् 5 बजे के बीच होगा।

नई दिल्ली,
7 अगस्त, 2025

(पी.सी. मोदी)
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025
के लिए निर्वाचन अधिकारी
और महासचिव, राज्य सभा